an>

Title: Need to provide Rajasthan its allocated share of water from Rabi and Beas rivers.

श्री राहुल कस्वां (चुरू)ः पंजाब व हरियाणा राज्य प्रायः राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध नहीं कराते हैं, विशेषकर बुवाई एवं पकाई के समय राजस्थान को कम मात्रा में पानी दिया जाता है, जिससे किसानों के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल ने दिनॉक 12.12.1974 को वाटर अकाउन्ट रिकंसाईलेशन कमेटी का गठन किया। इसके पैरा-3 में यह उल्लेखित है कि यदि किसी राज्य को पानी कम उपलब्ध कराया जाता है तो वह राज्य आगामी 15 दिवस में कम पानी उपलब्ध करवाये जाने की भरपाई करे, परंतु इसका पालन बी.बी.एम.बी. द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जाता है। बी.बी.एम.बी. इस विषय में समुचित तंत्र विकसित कर तथा पंजाब एवं हरियाणा द्वारा कम पानी उपलब्ध कराये जाने की भरपाई अगले 15 दिवस में इन राज्यों के हिस्सों में से पानी काटकर सुनिश्चित करें। जब जब राजस्थान को कम पानी प्राप्त होता है, तब तब राजस्थान द्वारा यह मुद्दा बी.बी.एम.बी., पंजाब व हरियाणा सरकार के समक्ष उठाया जाता रहा है, लेकिन आज तक कोइ्र कार्यवाही नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त 1981 में हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य रावी व्यास नदियों के जल के बंटवारे में राजस्थान का हिस्सा 8.60 एमएएफ तय किया गया था, लेकिन 060 एमएएफ जल आज भी पंजाब राजस्थान को नहीं दे रहा है, जिसके लिए राजस्थान सरकार वर्षों से प्रयास कर रही है। उक्त राज्यों के मध्य राजस्थान के सिधमुख-नोहर क्षेत्र के लिए 047 एमएएफ जल आवंटन का समझौता हुआ था, लेकिन आज भी पंजाब, हरियाणा द्वारा 017 एमएएफ पानी सिधमुख और नोहर क्षेत्र के लिए नहीं दिया जा रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि उपरोक्तानुसार राजस्थान के हिस्से का जल दिलवाने के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही करे।